प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021
कैम्प ग्राम पंचायत 3 M.K.

12.11.21

Form No-III

फर्द अहकाम (नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम ..... रायसिंहनगर

प्रितपाल सिंह बनाम सरकार

किस्म मुकदमा 136 एल आर एक्ट नम्बर 324 सन् 2021

जी.सी.एम.एस. आईडी 2021/.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किए
12.11.21	तहसीलदार भू.अ./नायब तहसीलदार भू.अ.ला.प्र. रायसिंहनगर के पत्रांक/भू.अ./प्र.गां.सं.अ./2021/778-788 दिनांक 12.11.21 के द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत 3 एम.के. में प्रार्थी के नाम चक 4PSA की जमाबंदी सम्वत् 2075-2078 के खाता सं. 53 में प्रीतपाल सिंह पुत्र कुलविन्द्र सिंह के स्थान पर प्रितपाल सिंह पुत्र कुलविन्द्र सिंह की दुरूस्ती किये जाने की अनुशंषा की हैं। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। मजमा–ए–आम कैम्प कोर्ट में तहसीलदार/नायब तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार दुरूस्ती किए जाने पर किसी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गयी हैं। अतः तहसीलदार/नायब तहसीलदार भू.अ.ला.प्र. रायसिंहनगर की अनुशंषा के आधार पर वाके चक 4PSA तहसील रायसिंहनगर की जमाबंदी सम्वत् 2075-2078 के खाता सं. 53 में प्रीतपाल सिंह पुत्र कुलविन्द्र सिंह के स्थान पर प्रितपाल सिंह पुत्र कुलविन्द्र सिंह की दुरूस्ती के आदेश दिए जाते हैं। शेष अंकन बदस्तूर रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाए। इस आदेश का आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम जारी पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश मजमा–ए–आम में सुनाया गया। (अर्पिता सोनी) उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर कैम्प सिटी-3 एम.के.	

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2022.02.21 17:22:11 IST
Reason: SelfAttested